

कार्यालयीन उपयोग हेतु

1. निविदा प्रपत्र का अनुक्रमांक:.....
2. निविदा प्रपत्र जारी करने का दिनांक :.....
3. निविदा प्रपत्र जारी करने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर एवं सील :.....

उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान

पो.आ.-आर.एफ.आर.सी., मण्डला रोड

जबलपुर - 482 021 (म.प्र.)

फोन : 0761 - 2840010

निविदा प्रपत्र

कार्य क्रमांक (1)

33/0.433 के.व्ही. विद्युत सब स्टेशन के चालन एवं रख-रखाव कार्य, 100 के.व्ही. ए., 62.5 के.व्ही. ए. एव 26 के.व्ही. ए. डीजल जनरेटर के चालन एवं रख-रखाव कार्य, संस्थान परिसर अन्तर्गत एल.टी./एच.टी., ओ.एच.पावर लाईन, फीडर खम्भों तथा संस्थान के आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में लगी विद्युत सामग्री के रख-रखाव कार्य।

निविदा जमा करने की तिथि एवं समय : 27/02/2018 समय : दोपहर 03.00 बजे तक

निविदायें खोलने की तिथि एवं समय : 27/02/2018, समय : दोपहर 03.15 बजे से

उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान

पो.आ.-आर.एफ.आर.सी., मण्डला रोड

जबलपुर - 482 021 (म.प्र.)

निविदा प्रपत्र भरने एवं प्रस्तुत करने के संबंध में निर्देश

1. निविदा प्रपत्र की फोटो प्रति मान्य नहीं है। अतः निविदा भरने हेतु संस्थान से प्राप्त किये गये मूल निविदा प्रपत्र का ही उपयोग करें। बेबसाईट से डाउन लोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ रु.500/- का बैंक ड्राफ्ट Director, TFRI, Jablapur के नाम जो जबलपुर में देय होगा संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा उक्त निविदा प्रपत्र अमान्य होगा।
2. निविदा प्रपत्र भरने के पूर्व कार्य का विस्तृत विवरण, निविदा की शर्तों तथा समय-सारणी का भलीभांति अध्ययन करें। इस संबंध में अन्य जानकारी, स्पष्टीकरण एवं स्थल निरीक्षण हेतु सम्पत्ति अधिकारी से दूरभाष (क्र.- 0761-2840010) अथवा व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क किया जा सकता है।
3. निविदा प्रपत्र को साफ-साफ भरें। कहीं भी ओव्हर राईटिंग नहीं करें। यदि कहीं पर सुधार करना है तो पहले की गई प्रविष्टी को पूरा काटकर नई जानकारी लिखें एवं वहाँ पर अपने हस्ताक्षर भी करें।
4. निविदा प्रपत्र की सभी प्रविष्टियों को पूर्ण करें। यदि कोई प्रविष्टि आपसे संबंधित नहीं है तो उसको भी खाली नहीं छोड़ें बल्कि वहाँ पर "लागू नहीं" अंकित करें।
5. निविदा प्रपत्र के साथ प्रतिभूति राशि का बैंक ड्राफ्ट लगाना न भूलें।
6. निविदा की शर्तों पर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करें। साथ ही निविदा के प्रत्येक पृष्ठ के बायें नीचे कोने पर भी हस्ताक्षर करें।
7. निविदा प्रपत्र वाले लिफाफे में डिमान्ड ड्राफ्ट तथा अन्य दस्तावेजों को लिफाफे में रखकर बंद करें। निविदा के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। अपूर्ण निविदा प्रपत्र अमान्य कर दिये जावेंगे। इस लिफाफे के ऊपर विज्ञापन क्रमांक तथा निविदा खोलने जाने की तारीख अंकित करें। साथ ही बायें नीचे के कोने पर अपना नाम एवं पूर्ण पता अंकित करें।
8. कृपया यह सुनिश्चित करें कि निविदा प्रपत्र निर्धारित तिथि तथा समय तक कार्यालय को प्राप्त हो जाय। निविदा प्रस्तुत करते समय कार्यालय से पावती प्राप्त करें। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्रस्तुत की गई निविदा मान्य नहीं की जावेगी। समय के सम्बन्ध में निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।
9. एक लिफाफे में एक से अधिक निविदा प्रपत्र नहीं रखें। प्रत्येक कार्य हेतु अलग-अलग निविदा प्रपत्र एवं लिफाफे का उपयोग करें।

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान

पो.आ. -आर.एफ.आर.सी., मण्डला रोड

जबलपुर - 482 021 (म.प्र.)

फोन : 0761 - 2840010

निविदा प्रपत्र

1. निविदा जमा करने की तिथि एवं समय : 27/02/2018, समय : दोपहर 03.00 बजे तक ।

2. निविदायें खोलने की तिथि एवं समय : 27/02/2018, समय : दोपहर 03.15 बजे से ।

3. कार्य का नाम :

33/0.433 के.व्ही. विद्युत सब स्टेशन के चालन एवं रख-रखाव कार्य, 100 के.व्ही.ए. 62.5 के.व्ही.ए. एवं 26 के.व्ही.ए. डीजल जनरेटर के चालन एवं रख-रखाव कार्य, संस्थान परिसर अन्तर्गत एल.टी./एच.टी., ओ.एच. पॉवर लाईन, फीडर खम्भों तथा संस्थान के आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में लगी विद्युत सामग्री के रख-रखाव का कार्य ।

4. कार्य का विस्तृत विवरण : उपरोक्त कार्य में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं :-

- (i) विद्युत सब स्टेशन जिसमें 2 x 750 के.व्ही.ए. तथा 2 x 315 के.व्ही.ए. आउट डोर तथा इन डोर ट्रांसफार्मर तथा उससे जुड़े हुए अन्य उपकरण शामिल हैं, के चालन एवं रख-रखाव कार्य ।
- (ii) 100 के.व्ही.ए., 62.5 के.व्ही.ए. एवं 26 के.व्ही.ए. के डीजल जनरेटर सेट एवं उससे जुड़े हुए उपकरणों के चालन एवं रख-रखाव का कार्य ।
- (iii) परिसर अन्तर्गत एल.टी./ओ.एच. लाईन, केबल लाईन तथा उनसे जुड़े हुए खम्भों तथा स्ट्रीट लाईट एवं कम्पाऊन्ड लाईट के चालन एवं रख-रखाव का कार्य ।
- (iv) संस्थान परिसर अन्तर्गत आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में लगी विद्युत सामग्री - पंखों, लाईट, एंजास्ट फैन, प्वाइजंट, प्लग प्वाइजंट, पावर प्वाइजंट, इन्टर्नल वाईरिंग, मेन सिवच, एम.सी.व्ही., विद्युत मीटर आदि के रख-रखाव का कार्य ।

5. समय-सारणी :

- (i) विद्युत सब स्टेशन एवं उससे जुड़े हुए उपकरणों के रख-रखाव हेतु चौबीस घंटे रखरखाव कर्मी तैनात करना आवश्यक होगा ।
- (ii) अन्य कार्यों के लिए सुबह 8.00 बजे से लेकर रात्रि 10.00 बजे तक रखरखाव कर्मी तैनात करना आवश्यक होगा ।

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

6. **निविदाकार का विवरण :**
- (i) निविदाकार का नाम (यदि फर्म है, तो फर्म का नाम) :
 - (ii) निविदाकार के पिता का नाम
(यदि फर्म है तो फर्म के प्रोप्राईटर/भागीदारों के नाम) :
 - (iii) पत्र व्यवहार का पता :
 - (iv) फोन नम्बर :
 - (v) निविदाकार की श्रेणी/कैटेगरी :
 - (vi) पंजीयन विवरण :
 - (अ) विभाग का नाम, जिसमें ठेकेदार के रूप में पंजीकृत हैं :
 - (ब) पंजीयन क्रमांक :
 - (स) पंजीयन समाप्त होने की तिथि :
7. पिछले तीन वर्षों में केंद्र/राज्य शासन के विभागों/उपक्रमों में विद्युत रख-रखाव के
रु. 2.00 लाख प्रतिवर्ष से ऊपर के सफलतापूर्वक पूर्ण किये गये ठेकों का विवरण :
- | अ.क्र. | शासकीय विभाग/उपक्रम का नाम | ठेका अवधि | ठेके की राशि |
|--------|----------------------------|-----------|--------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
8. **वार्षिक रख-रखाव हेतु प्रस्तावित निविदा मूल्य :**
- (अ) अंकों में -
 - (ब) शब्दों में -
9. **प्रतिभूति राशि जमा करने का विवरण :**
- (अ) बैंक ड्राफ्ट नम्बर :
 - (ब) बैंक ड्राफ्ट जारी करने की दिनांक :
 - (स) बैंक ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का नाम तथा शाखा :
 - (द) बैंक ड्राफ्ट की राशि :
10. **संलग्न किये गये प्रपत्र (जो लागू नहीं हो उसको कृपया काट दें) :**
- (1) प्रतिभूति राशि हेतु बैंक ड्राफ्ट
 - (2) पाटनरशिप डीड, पॉवर आफ एटार्नी की प्रति
 - (3) ठेकेदार के रूप में पंजीयन का प्रमाण-पत्र
 - (4) आयकर विभाग द्वारा प्रदायित आयकर क्लियरेंस सर्टीफिकेट
 - (5) पिछले तीन साल में किये गये रख-रखाव कार्यों के प्रमाण-पत्र:
 - (6) अन्य प्रपत्र :

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान

पौ.आ.-आर.उफ.आर.सी., मण्डला रोड

जबलपुर - 482 021 (म.प्र.)

निविदा शर्तें

(1) **कार्य का नाम :**

33/0.433 के.व्ही. विद्युत सब स्टेशनो के चालन एवं रख-रखाव कार्य, 100 के.व्ही.उ., 62.5 के.व्ही.उ. एवं 26 के.व्ही.उ. डीजल जनरेटर के चालन एवं रख-रखाव कार्य, संस्थान परिसर के अन्तर्गत एल.टी./उच.टी., ओ.उच. पॉवर लाईन, फीडर खम्भों तथा संस्थान के आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में लगी विद्युत सामग्री के रख-रखाव का कार्य।

(2) **पात्रता :**

(i) निविदाकार केन्द्र शासन के विभाग - केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, रेल विभाग, डाकतार विभाग, दूरसंचार विभाग, रक्षा विभाग अथवा राज्य शासन के विभाग - लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग अन्तर्गत विद्युत ठेकेदार के रूप में उचित श्रेणी (रु.2.0 लाख से उपर) में पंजीकृत होना चाहिये। केन्द्र/राज्य शासन के उपक्रम अन्तर्गत पंजीकृत उचित श्रेणी के विद्युत ठेकेदार भी निविदा भरने हेतु पात्र है। इसके अतिरिक्त इस कार्य का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव रखने वाले व्यक्ति भी इस कार्य के पात्र रहेंगे।

(ii) निविदाकार को पिछले तीन वर्षों में से कम से कम दो वर्षों हेतु 33 के.व्ही विद्युत सब स्टेशन के रख-रखाव के रु. 2.00 लाख से ऊपर के वार्षिक रख-रखाव के ठेकों को संतोषजनक रूप से पूरा करने अथवा 33 के.व्ही. विद्युत सब स्टेशन के स्थापना के रु.2.00 लाख से उपर के ठेकों को निरूपादित करने का अनुभव होना आवश्यक है। निविदा प्रपत्र के साथ पिछले तीन वर्षों में किये गये कार्यों के कार्य आदेश एवं कार्य को संतोषजनक ढंग से पूरा किये जाने का सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(iii) निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ आयकर विभाग द्वारा प्रदायित आयकर क्लियरेंस सर्टीफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है।

(iv) यदि निविदाकार फर्म के रूप में पंजीकृत है तो फर्म का पंजीयन प्रमाण-पत्र, पार्टनरशिप डीड एवं पावर ऑफ एटार्नी की प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

(3) **प्रतिभूति राशि :**

(i) निविदा के साथ रु. 25,000/- (रुपयै पच्चीस हजार मात्र) का शैड्यूल्ड बैंक द्वारा "**Director, TFRI, Jabalpur**" के नाम पर देय बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है। बैंक ड्राफ्ट विज्ञापन दिनांक से तीन माह तक के लिए वैध होना चाहिये।

(ii) असफल निविदाकारों द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि निविदाओं पर अंतिम निर्णय लिये जाने की तारीख से 30 दिन के अन्दर वापिस कर दी जायेगी।

(iii) सफल निविदाकार द्वारा निविदा शर्त पॉच एवं छ: के अनुसार अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने एवं परफार्मेंस सिक्यूरिटी राशि जमा करने पर उसको प्रतिभूति राशि वापिस कर दी जावेगी।

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

- (4) निदेशक, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान को किसी भी निविदा को अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- (5) **अनुबन्ध पत्र :** सफल निविदाकार को स्वीकृति आदेश जारी होने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर निदेशक, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के साथ एक अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। निदेशक, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान को अधिकार होगा कि वह अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने की समय सीमा सफल निविदाकार के अनुरोध पर एक सप्ताह के लिए और बढ़ा सकते हैं, यदि वे निविदाकार द्वारा बताये गये कारणों से संतुष्ट हैं।
- (6) **परफार्मेंस सिक्यूरिटी :** सफल निविदाकार को अनुबन्ध पत्र के साथ में वार्षिक निविदित राशि के 10 प्रतिशत के बराबर अथवा ₹. 25,000/-, इनमें से जो भी अधिक हो, परफार्मेंस सिक्यूरिटी कॉल डिपॉजिट अथवा बैंक ग्यारंटी के रूप में जो कि अनुबन्ध की दिनांक से 24 माह तक के लिए वैध होगी, जमा करनी होगी।
- (7) **प्रतिभूति राशि का राजसात :** यदि सफल निविदाकार द्वारा स्वीकृति आदेश की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर निविदा शर्त क्र. 5 एवं 6 के अनुसार अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये जाते हैं एवं परफार्मेंस सिक्योरिटी जमा नहीं की जाती है, तो निदेशक को स्वीकृति आदेश को निरस्त करते हुए प्रतिभूति राशि राजसात करने का अधिकार होगा।
- (8) **कार्य आदेश:** सफल निविदाकार द्वारा अनुबन्ध-पत्र पर हस्ताक्षर करने तथा परफार्मेंस सिक्यूरिटी तथा अन्य औपचारिकतायें पूरी करने पर उनको कार्य आदेश जारी किया जायेगा।
- (9) **निविदा की अवधि :**
- (i) निविदा की अवधि, कार्य आदेश जारी किये जाने के अगले माह की पहली तारीख से (अंग्रेजी कलेन्डर अनुसार) बारह माह के लिए रहेगी।
- (ii) यदि आवश्यकता हुई तो निविदा अवधि आपसी सहमति एवं कार्य की संतुष्टि के आधार पर पूर्व की शर्तों एवं पूर्व की स्वीकृत दर पर छः - छः माहों के लिए बढ़ाई जा सकती है।
- (10) **अवधि पूर्व ठेके का निरस्तीकरण :**
- (i) यदि ठेकेदार द्वारा ठेका अवधि के पूर्व अचानक ठेका छोड़ दिया जाता है तो निदेशक को अधिकार होगा कि वे अपने विवेक से परफार्मेंस सिक्यूरिटी की आंशिक अथवा पूर्ण राशि राजसात कर सकेंगे। साथ ही निविदाकार को पाँच वर्षों के लिए काली सूची में दर्ज कर दिया जावेगा।
- (ii) यदि ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है एवं नोटिस दिये जाने के बावजूद भी ठेकेदार की कार्यप्रणाली में सुधार नहीं होता है तो निदेशक को अधिकार होगा कि वे एक सप्ताह के नोटिस पर ठेके को निरस्त करते हुए परफार्मेंस सिक्यूरिटी को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से राजसात कर सकेंगे।

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

(11) **भुगतान का तरीका :** ठेकेदार को भुगतान सामान्यतः मासिक रूप से किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा प्रति माह की तीन तारीख तक विगत माह का भुगतान बिल प्रस्तुत किया जायेगा। भुगतान की दर, वार्षिक निविदा दर के 1/12 के बराबर होगी। अपरिहार्य कारणों से यदि किसी माह भुगतान में विलम्ब होता है तो ठेकेदार को किसी प्रकार के ब्याज अथवा क्षतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी।

(12) **श्रोत पर आयकर की कटौती :** ठेकेदार को भुगतान की जाने वाली मासिक राशि में से आयकर विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुरूप श्रोत पर ही आयकर की कटौती की जावेगी।

(13) **रखरखाव कर्मियों का नियोजन :**

(i) ठेकेदार को इस कार्य हेतु पांच रखरखाव कर्मी., जिनकी बिजली संबंधित कार्यों की कुशलता के अनुसार (01 कुशल, 02 अर्द्ध-कुशल एवं 02 अकुशल) को रखना होगा, जिससे रखरखाव का कार्य सुचारु रूप से चल सके। ठेकेदार मार्गों के निर्माण तथा अनुरक्षण या भवन निर्माण कार्य एवं भूमिगत केवल कार्य के नियोजन के श्रेणी में न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत भुगतान करना होगा एवं कर्मियों को समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के आधार पर, ठेका अधिनियम एवं अन्य कानूनी नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी। इन नियमों के अनुरूप जो भी अभिलेख संधारित किये जाते हैं वे भी संधारित करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी।

(ii) निविदाकार द्वारा इस कार्य हेतु दर्शाई गई राशि से यदि श्रम नियमों के अनुसार न्यूनतम वेतन का भुगतान रखरखाव कर्मियों को होना संभव न हो तो ऐसी निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

(iii) ठेकेदार द्वारा लगाये गये रखरखाव कर्मी को ठेके के दौरान, ठेके को अवधि पूर्व निरस्त किये जाने की स्थिति में अथवा ठेका पूर्ण होने के उपरान्त संस्थान में किसी प्रकार के रोजगार की पात्रता नहीं होगी।

(iv) 33/0.433 के.व्ही. विद्युत सब स्टेशन के चालन एवं रख-रखाव कार्य, 100 के.व्ही.पु. 62.5 के.व्ही.पु. एवं 26 के.व्ही.पु. डीजल जनरेटर के चालन एवं रख-रखाव कार्य, संस्थान परिसर अन्तर्गत पुल.टी. /पुच.टी., औ.पुच. पॉवर लाईन, फीडर खम्भों तथा संस्थान के आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में लगी विद्युत सामग्री के रख-रखाव का कार्य के अनुरूप उचित रूप से प्रशिक्षित रखरखाव कर्मियों को ही ठेकेदार द्वारा कार्य पर लगाया जायेगा। कुशल रखरखाव कर्मियों के पास आवश्यक शैक्षणिक अर्हता आदि के प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।

(v) ठेकेदार उनके द्वारा लगाये गये रखरखाव कर्मियों की सूची, पूर्ण पते सहित, सम्पत्ति अधिकारी को सौंपेंगे। साथ ही कर्मचारियों के आगामी माह का मासिक ड्यूटी चार्ट भी उस माह की एक तारीख को सम्पत्ति अधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा। ठेकेदार द्वारा प्रत्येक रखरखाव कर्मियों को पहचान पत्र भी जारी किया जायेगा।

(vi) ठेकेदार द्वारा लगाये गये रखरखाव कर्मी संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शालीनता का व्यवहार करेंगे। यदि रखरखाव कर्मियों के व्यवहार के बारे में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो ठेकेदार को ऐसे रखरखाव कर्मियों को कार्य से 24 घंटे के अन्दर अलग करना होगा एवं उसके स्थान पर दूसरे रखरखाव कर्मियों की ड्यूटी लगानी होगी।

(vii) ठेकेदार द्वारा लगाये गये रखरखाव कर्मियों को कार्य के दौरान अथवा कार्य के बाद यदि किसी प्रकार की दुर्घटना के कारण चोट पहुँचती है/आकस्मिक निधन होता है एवं श्रम नियमों के अनुरूप यदि रखरखाव कर्मियों को किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति भुगतान किया जाना है तो यह जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी। संस्थान, ठेकेदार द्वारा इस प्रकार किये गये किसी भी व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं करेगा।

(viii) ठेकेदार अपने रखरखाव कर्मियों में से किसी एक को अपने प्रतिनिधि के रूप में नामांकित करेगा जो कि कार्य स्थल पर उपस्थित रहकर ठेकेदार को दिये जाने वाले नोटिस, स्मरण-पत्र, निर्देश आदि प्राप्त करेगा तथा सम्पत्ति अधिकारी के सतत् सम्पर्क में रहेगा जिससे कि ठेके का कार्य सुचारु रूप से संचालित किया जा सके।

(ix) सफल निविदाकार को लगाये गये सभी रखरखाव कर्मियों को प्रतिमाह नियमानुसार भुगतान करके, भुगतान का विवरण निर्धारित प्रपत्र में इस संस्थान में प्रस्तुत करना होगा।

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

(x) सफल निविदाकार को लगाये गये सभी रखरखाव कर्मियों को सुरक्षा के सभी उपकरण उपलब्ध करना अनिवार्य होगा।

(xi) सफल निविदाकार को लगाये गये सभी रखरखाव कर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन एक माह के अन्दर करवाकर देना होगा।

(14). **कार्य का विस्तृत विवरण :**

(a) **विद्युत सब स्टेशन का चालन एवं रख-रखाव :** ठेकेदार, विद्युत सब स्टेशन में स्थापित सभी उपकरणों की साफ-सफाई तथा सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। खासतौर से ऐसे उपकरण जो कि पूरी तरह से ठेकेदार की जिम्मेदारी तथा ठेकेदार द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। संस्थान परिसर में स्थित 33 के.व्ही. लाईन /केबल में किसी प्रकार की खराबी आने पर ठेकेदार द्वारा शीघ्र निराकरण व मरम्मत कार्य करना होगा, इसमें लगने वाली सामग्री जैसे केबल, वायर व ज्वाइंट किट आदि संस्थान द्वारा प्रदाय की जावेगी। टूल ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर लाने होंगे। ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि इलेक्ट्रिक पेनल के इलेक्ट्रोड्स आदि की साफ-सफाई रखे तथा सभी उपकरणों के नट-बोल्ट आदि टाईट रखे। फ्यूज वायर, रोजमर्न के रख-रखाव हेतु आवश्यक आईल तथा ग्रीस, कील, नट-बोल्ट, स्क्रू, वासर आदि को छोड़ कर सभी सामग्री संस्थान द्वारा प्रदाय की जायेगी। रोजमर्न के रख-रखाव हेतु आवश्यक उपकरण/टूल किट ठेकेदार द्वारा अपने व्यय पर ही रखी जावेगी।

(b) **स्ट्रीट एवं कैम्पस लाईट का चालन एवं रख-रखाव :** ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि संस्थान परिसर अन्तर्गत सभी स्ट्रीट लाईट, कैम्पस लाईट चालू हालत में रहें। आवश्यकता पड़ने पर ठेकेदार द्वारा केबल वायर, तार, बल्ब, चोक, स्टार्टर आदि बदले जायेंगे। इस कार्य हेतु फ्यूज वायर, आईल एवं ग्रीस, कील, नट-बोल्ट, स्क्रू, वासर आदि को छोड़कर समस्त सामग्री संस्थान द्वारा प्रदाय की जावेगी। रोजमर्न के रख-रखाव हेतु आवश्यक उपकरण/टूल किट ठेकेदार द्वारा अपने व्यय पर ही रखी जावेगी।

(c) **आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों की विद्युत लाईन एवं सामग्री का रख-रखाव :** इस कार्य अन्तर्गत ठेकेदार को आवासीय तथा गैर आवासीय भवनों की विद्युत लाईन, सभी विद्युत प्वाइंट, पावर प्वाइंट तथा उनमें लगे विद्युत सामग्री - पंखों, रेग्युलेटर, बल्ब, ट्यूब लाईट, एग्जास्ट फेन आदि चालू हालत में रखने होंगे एवं आवश्यकता पड़ने पर लाईन बदलना, पंखे, ट्यूब लाईट आदि को बदलने एवं उनका रोजमर्न का रख-रखाव का कार्य जिसमें पंखे, एग्जास्ट फेन आदि की आइलिंग एवं ग्रीसिंग बुश बियरिंग आदि बदलने का कार्य भी शामिल है, करना पड़ेगा। संस्थान में आवश्यकतानुसार नये पाइंटों की वार्निश करना व लगाने का कार्य भी ठेकेदार को करना होगा, इसके लिये सामग्री संस्थान द्वारा प्रदाय की जावेगी। फ्यूज वायर, आईल एवं ग्रीस, कील, नट-बोल्ट, स्क्रू, वासर आदि को छोड़कर जो भी सामग्री लगेगी वह संस्थान द्वारा प्रदाय की जायेगी। पंखे की वार्निशिंग जलने पर यह कार्य संस्थान द्वारा अलग से कराया जावेगा। इसी प्रकार विद्युत मीटर की रोजमर्न की मरम्मत का कार्य ठेकेदार द्वारा किया जावेगा। विशेष मरम्मत संस्थान द्वारा अलग से कराया जावेगा। ठेकेदार को आवासीय/गैरआवासीय भवनों की मासिक रीडिंग में संस्थान के कर्मचारियों की मदद करनी होगी रोजमर्न के रख-रखाव हेतु आवश्यक उपकरण/टूल किट ठेकेदार द्वारा अपने व्यय पर ही रखी जावेगी

(d) **डीजल जनरेटर सेट का चालन एवं रख-रखाव :** इस कार्य अन्तर्गत ठेकेदार को विद्युत व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होने पर निदेशक अथवा सम्पत्ति अधिकारी के निर्देश पर जनरेटर सेट चलाकर विद्युत प्रदाय करना होगा। जनरेटर सेट हेतु डीजल संस्थान द्वारा प्रदाय किया जायेगा। ठेकेदार जनरेटर के रोजमर्न के रख-रखाव और आयलिंग, ग्रीसिंग आदि के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

(15) **भण्डार सामग्री एवं पार्ट्स :**

रोजमर्न के रख-रखाव हेतु कंडिका (14) में उल्लेखित सामग्री को छोड़कर अन्य भण्डार सामग्री एवं पार्ट्स, फिटिंग्स आदि संस्थान द्वारा प्रदाय किये जायेंगे। परन्तु, इन सामग्री, पार्ट्स हेतु ठेकेदार द्वारा सम्पत्ति अधिकारी को लिखित में सामग्री एवं पार्ट्स के पूर्ण विवरण सहित सूचना देनी होगी।

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

(16) शिकायतों का निराकरण :

आवासीय तथा गैर आवासीय भवनों की विद्युत शिकायतों हेतु एक रजिस्टर रखा जावेगा जिसमें कि रहवासियों/कार्यालयीन कर्मचारियों द्वारा शिकायतें दर्ज की जावेगी । ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि रोजमर्रा की सभी शिकायतों को छः घंटे के अंदर ठीक किया जावे एवं इस कार्य हेतु पर्याप्त रखरखाव कर्मी रखे जावे । यदि ठेकेदार द्वारा शिकायतों को ठीक करने में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है तो इसको ठेके का उल्लंघन माना जावेगा एवं उक्त कार्य ठेकेदार के व्यय पर करा लिया जावेगा । साथ ही प्रत्येक ऐसे कराये गये कार्य के लिए, कार्य के महत्व के अनुरूप जुर्माना किया जावेगा जो कि ₹.1000/- प्रति प्रकरण तक हो सकती है । उक्त व्यय एवं जुर्माने की राशि ठेकेदार के मासिक देयक से काटी जायेगी । इस संबंध में निदेशक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

(17) उपकरणों आदि को नुकसान पहुँचाना :

(i) ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि वह ठेका समाप्त के उपरान्त सभी उपकरण आदि चालू एवं अच्छी हालत में संस्थान को सौंपेगे । ऐसे उपकरण जो कि चालन एवं रख-रखाव हेतु ठेकेदार को सौंपे गये हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी ।

(ii) स्थापित उपकरणों को ठेकेदार की लापरवाही से यदि किसी प्रकार का नुकसान पहुँचता है तो उपकरण की मरम्मत ठेकेदार को अपने व्यय पर करनी होगी । यदि ठेकेदार द्वारा उक्त मरम्मत कार्य नहीं किया जाता है तो संस्थान द्वारा उक्त कार्य करा लिया जायेगा एवं कार्य पर किया गया व्यय ठेकेदार के मासिक बिल की राशि से काटा जायेगा । साथ ही प्रत्येक ऐसे प्रकरण में ₹. 1000/- का जुर्माना भी किया जायेगा ।

(iii) यदि ठेकेदार की लापरवाही से हुआ व्यय मासिक देयक से ज्यादा है तो अतिरिक्त राशि ठेकेदार की परफार्मेंस सिक्योरिटी से काटी जावेगी । यदि ठेकेदार की लापरवाही से हुआ व्यय परफार्मेंस सिक्योरिटी से भी ज्यादा है तो उक्त व्यय ठेकेदार से बतौर बकाया भू-राजस्व (Arrears of land revenue) वसूल किया जावेगा ।

(18) एम.पी.ई.बी. से सामन्जस्य : किसी प्रकार के मरम्मत कार्य हेतु एच.टी. लाईन को बन्द करने हेतु एम.पी.ई.बी. से सम्पर्क करने की जिम्मेदारी संस्थान की रहेगी ।

(19) लाईसेन्स फी एवं अन्य प्रभार : एम.पी.ई.बी. को नियमों के अनुरूप देय लाईसेन्स फी एवं अन्य प्रभार की जिम्मेदारी संस्थान की रहेगी ।

(20) न्यायालय का अधिकार क्षेत्र : यदि इस अनुबन्ध के तहत किसी प्रकार का मतभेद अथवा विवाद उत्पन्न होता है तो इससे संबंधित वाद जबलपुर स्थित सक्षम न्यायालय में ही प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

दिनांक :

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

स्थान :

निविदाकार का नाम :

पूरा पता :

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा निविदा शर्त क्र. 1 से 20 तक का भलीभाँति अध्ययन कर लिया गया है एवं उनको भलीभाँति समझ लिया गया है एवं मैं उनका पालन करने हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

दिनांक :

निविदाकार के हस्ताक्षर

स्थान :

निविदाकार का नाम :

पूरा पता :

गवाह -

(1) हस्ताक्षर :.....

नाम :

पूरा पता :.....

.....

फोन नं. :.....

(2) हस्ताक्षर :.....

नाम :

पूरा पता :.....

.....

फोन नं. :.....